ESTIMATES COMMITTEE

NINETY-FIFTH AND NINETY-EIGHTH REPORTS

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada): Sir, I beg to present the following Reports of the Estimates Committee:—

(1) Ninety-fifth Report regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Thirty-seventh Report on the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture)—Central Inland Fisheries Research Institute, Barrackpore.

(2) Ninety-eighth Report regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Sixth Report. on the Ministry of Education—(i) Salar Jung Museum, Hyderabad; and (ii) Archaeological Museums.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

ELEVENTH REPORT

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri): Sir, I beg to present the Eleventh Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

12.40 hours

RE. MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

MR. SPEAKER: I have to inform the House that I have received notice of a Motion of No-Confidence in the Council of Ministers under Rule 198 from Sarvashri Madhu Limaye, Ram Sewak Yadav and George Fernandes. The Motion reads as follows:—

"That this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers."

The reasons given are:—

"This Government is a Government of contradicitions; it is in collusion with Big Business, foreign capital, feudal relics and bureaucracy and has only recently encouraged destruction of the Constitution and democracy in Uttar Pradesh."

May I request those Members who are in favour of leave being granted to this Motion to rise in their places?

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : कुछ अर्ज करने देंगे इसके पहले ?

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद ।

श्री मधु लिमये : जरा अर्ज करने के बाद ज्यादा लोग खड़े हो जायेंगे ।

MR. SPEAKER: Let the leave be granted first. Those who are in favour of leave being granted to this Motion may please rise in their places.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यही हम दिखाना चाहते थे दुनिया को कि यह लोग क्या कर रहे हैं ।

MR. SPEAKER: Let me count the number. There are only 13 Members standing in their seats in favour of it. They are less than 50. So, the leave is not granted.

SOME HON. MEMBERS: Shame, shame!

12.42 hrs.

RE. POLITICAL SITUATION IN UTTAR PRADESH

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है उस पर तो बहस होनी ही चाहिये । **(व्यवधान)**

MR. SPEAKER: Shri Yashpal Singh.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I rise on a point of order.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): On what? There is nothing before the House now.

SHRI S. M. BANERJEE: I rise on a point of order under Rule 376(2), that is, regarding the business before the House.

MR. SPEAKER: Concerning what matter?

SHRI S. M. BANERJEE: Under Rule 376(2), that is, regarding the business of the House.

MR. SPEAKER: The business before the House now is the Press Council Bill.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): Sir, before we go to that item, I have a point of submission to make.

MR. SPEAKER: We have passed on to this item.

SHRI S. M. BANERJEE: May I invite your kind attention to Rule 340? I want that the business before the House be adjourned . . . (*Interruption*)

MR. SPEAKER: This is not the point of order. I have disallowed the adjournment motion. Shri Yashpal Singh.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने मेरे रिजोल्यूशन को सपोर्ट किया या अपोज किया, मैं दोनों का मशकूर हूं । चूंकि जिन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं इस संसद् की मर्यादा के अनुसार किये हैं . . .

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : एक मिनट के लिये जरा सुनिये अध्यक्ष महोदय यह उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित मामला है । उत्तर प्रदेश के डिप्टी स्पीकर ने आपको तार भेजा है ।

MR. SPEAKER: You can come and meet me in my chamber.

SHRI S. M. BANERJEE: They are meeting the President. There has been the rape on parliamentary democracy in U.P. Assembly. We have given an adjournment motion; we have given a Cail Attention Notice. . . (*Interruptions*) What is this? Kindly hear us. There was a discussion when the police entered the West Bengal Legislative Assembly . . . (*Interruptions*).

श्री शिव चन्द्र झा : यह सिलसिला जनतंत्र के लिये खतरा है (**व्यवधान**) ।

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये, हम फिर आप के चैम्बर में आयेंगे । एक मिनट आप हमारी बात सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप हमारी चैम्बर में आइये, फिर उसके बाद सुनेंगे । (**व्यवधान**)

आप जरा बैठ जाइये ।

श्री शिव नारायण : यू० पी० असेम्बली न बनाइये ।

MR. SPEAKER: The hon. members may please sit down. I told them my view. It may not be very pleasing to us; I have also been at a loss to understand what is going on there, but there is a certain procedure, a certain convention in this House and we are bound by that. If we start discussing the conduct of the House and the Members of State Legislature . . . (*Interruptions*).

SHRI UMANATH (Pudukkottai): Did we not discuse about West Bengal when police entered the premises of the West Bengal Assembly? Also when the Speaker of the West Bengal

[Shri Uma Nath]

Assembly adjourned the House, it was discussed on the floor of the House . . . (*Interruptions*). So, how can you discriminate?

MR. SPEAKER: It will be a very unhealthy practice if we are to discuss the conduct of the Speaker and the Members of the State Legislatures . . .

SHRI UMANATH: Subject to that caution, a discussion was allowed. Subject to the caution that you have made, that we should not directly refer to the conduct of the Speaker, we were permitted a discussion when the Speaker of the West Bengal Assembly adjourned the House. So also when police entered the West Bengal Assembly, it was discussed here. You can give certain cautions and limits, but you cannot rule out the thing . . . (*Interruption*)

SHRI SHEO NARAIN: Let me tell you, Sir, what is going on in U.P. I represent U.P. We know about U.P. because we come from U.P.

श्री झारखंडे राय (बांसी) : मान्यवर, एक बयान दिलवाइये और बहस करवा दीजिये।

SHRI NATH PAI (Rajapur): We very respectfully submit to you that we would be bound by the traditions and precedents of the House. I would like to take my ground precisely on the precedents and the traditions of the House. We will not be directing how the Speaker of the U.P. Assembly should conduct the business. We assume that he knows it very well. But we have a duty which we have discharged in the past, and if today we abdicate that duty, I think, legitimately we will be charged that the Lok Sabha has double standards: if it is a question of something happening in the West Bengal Assembly, the Lok Sabha thinks that it is duty-bound to take cognizance of the issue, but if something happens in the U.P. Assembly, we are avoiding the opportunity of conveying what we feel about it. I am not saying that the House should be given an opportunity to pass any judgment on the conduct of the Speaker of the U.P. Assembly, but there is something that has happened which is absolutely identical with the assault on the West Bengal Assembly by the angry policemen; the policemen were called, the MLAs were assaulted and bodily lifted.... (*Interruption*). The ultimate guardian of all democratic institutions in this country is the Lok Sabha, the Parliament. We cannot abdicate our duty when we find that a chance should be given to discuss the conduct of the police. I submit to you that we shall not be encroaching upon the autonomy of the U.P. Assembly, that we shall not be indulging in any indignity towards the Speaker of the U.P. Assembly. We will be discharging our duty if you provide an opportunity to the House to express what we feel about what transpired in the U.P. Assembly the day before yesterday.

SHRI S. M. BANERJEE: I never wanted to raise this issue. We never wanted to discuss the conduct of the Speaker of U.P. Assembly. Sir, I have been in this House for the last thirteen years and I know something of this House and how we should perform our duties. Some of the ejected MLAs came and saw me this morning and it is surprising that not only the Police but the Provincial Armed Constabulary men were there and even the Deputy Speaker was not heard. The Marshal and the Police both defied him. This has happened there and I am afraid Mr. C. B. Gupta who was here rushed back and created all this trouble. (*Interruptions*) and this House should discuss the conduct, not of the Speaker, but of the Chief Minister. Sir, otherwise, I fear Parliamentary Democracy will come to an end. There is a rape of parliamentary democracy and a great danger to it. It is high time that

Mr. C. B. Gupta is kicked out of his office. (*Interruptions*).

SHRI SHEO NARAIN: This is the way. जरा हम लोगों को भी आप सुनिये। यह लोग हुल्लड़बाजी करते हैं, जोर से चीखते हैं इसलिये आप उनको सुन लेते हैं मेहरबानी करके जरा हम लोगों को भी तो सुनिये।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मेरा ताल्लुक है मैंने अपना व्यू उसके बारे में आलरेडी दे दिया है। जो रूल्स आफ प्रोसीज्योर हैं और जैसाकि मैं उनको समझा हूं उसका यहां डिस्कशन करना ठीक नहीं है। वेस्ट बंगाल के बारे में उपाध्यक्ष महोदय ने जैसाकि कहा गया है यहां डिस्कशन ऐलाऊ कर दिया था मैं नहीं समझता कि वह कैसे किया था और किन हालात में किया था मैं उसमें देखूंगा।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो कहना सही है कि राज्य विधान सभाओं के अन्दर जो चीजें होती हैं उनकी चर्चा साधारण तौर पर यहां नहीं होनी चाहिये लेकिन आखिरकार राज्य विधान सभाएं या यह हमारी अपनी लोक-सभा संविधान के अन्तर्गत काम करती है। लोक-सभा के लिये संविधान की धारा 118 है जोकि इस प्रकार है :

"Each House of Parliament may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business."

इसी तरह राज्य विधान सभाओं के लिये भी संविधान की धारा नम्बर 208 है।

अध्यक्ष महोदय, जब यह आरोप किया जाता है कि संविधान की धाराओं की हत्या हुई है तब इस लोक-सभा को उसके बारे में विवाद करने का और बहस करने का पूरा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, आप के पास उत्तर प्रदेश विधान सभा के डिप्टी स्पीकर श्री वासुदेव सिंह का तार आया है जिसकी कि नकल हमारे पास भी आई है। वहां पर स्पीकर ने मार्शल के द्वारा डिप्टी स्पीकर को निकाल दिया . . . (**व्यवधान**) . . . सदन में विभाजन होने जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार गिर रही थी। खेर साहब ने डिवीजन नहीं होने दिया। आज से कोई दो साल पहले यहां लोक-सभा में भी ऐसी नौबत आई थी। यहां पर भी उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि डिवीजन नहीं होना चाहिए। खाडिलकर साहब उस समय चेयर में थे। हमने कहा था कि डिवीजन होना चाहिए और तब खाडिलकर साहब ने तब डिवीजन कराया था। उस वोट पर सरकार हारी थी। अब जबकि संविधान व लोक तंत्र की इस तरीके से हत्या हो रही है तो क्या आपका यह कर्तव्य नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप प्रधान मंत्री या गृह मंत्री को कहें कि पहले वह उस बारे में एक अपना वक्तव्य दें और उसके बाद तत्काल उसके ऊपर यहां बहस शुरू हो ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन की भी और दूसरी राज्य विधान सभाओं की भी यह प्रक्रिया है कि जब किसी अनुदान के ऊपर आप मतदान कराते हैं और सदस्यों को यह पूछते हैं कि जो इसके पक्ष में हों वे "हां" कहें और जो विपक्ष में हों वे "ना" कहें तो यह "हां" या "ना" कहने के बाद कोई सदस्य उसको चुनौती देता है तब आप डिवीजन की अनुमति देते हैं। उस अवसर पर डिवीजन के लिए जो आप अनुमति देते हैं उसका एकमात्र कारण यह होता है कि यह "हां" और "ना" की जो बात आई है उसका आप कनफरमेशन करना चाहते हैं, उसकी पुष्टि करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी इस प्रकार की घटना घटी कि जब "हां" और "ना" का शब्द आ गया उसके बाद जब घंटी बजी तो उस घंटी के बजने के बाद फिर विधान सभा

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

स्थगित नहीं की जा सकती थी । यह जो उत्तर प्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष की कार्यवाही थी वह संविधान की प्रक्रिया का सर्वथा उल्लंघन है और इस प्रकार का उल्लंघन करके उन्होंने संविधान की हत्या वहां पर की है । लेकिन इससे भी बढ़कर गम्भीर और खेदजनक बात मैं विशेषरूप से कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय क्रान्ति दल के 9 विधान सभा के सदस्य वहां पर घायल हुए है । अगले दिन 200 पुलिस के आदमी अध्यक्ष ने सदन के अन्दर बुलाये और पुलिस वालों को अन्दर बुलाकर सदस्यों को घसीट-घसीट कर बाहर निकाला गया । अध्यक्ष महोदय, क्या इस बात की आप अनुमति देंगे कि इस सदन के अन्दर दिल्ली की पुलिस आये और सदस्यों को यहां से खींच-खींच कर बाहर निकाल दे ? इस लोक-सभा भवन की परिधि के अन्दर आपकी हुकूमत चलती है और उसके अन्दर पुलिस राज्य नहीं हो सकता । विधान सभा के अध्यक्ष ने पुलिस को विधान सभा के भवन के अन्दर आने की अनुमति देकर संविधान की दूसरी अवहेलना की है । इसीलिए जिस समय यहां पर पश्चिमी बंगाल की चर्चा आई थी तो आपके इसी आसन पर बैठे हुए श्री खाडिलकर ने एक व्यवस्था दी थी कि इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विषय पश्चिमी बंगाल से सम्बन्धित है लेकिन क्योंकि वहां पर संविधान की हत्या हुई है इसलिए मैं उस पर यहां अनुमति देता हूं । उस पर यहां लोक-सभा में विवाद किया जाय । मेरा कहना है कि उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अन्दर हुआ है । अध्यक्ष महोदय, संविधान के आप रक्षक हैं और मैं चाहता हूं कि आप इस सरकार को कहें कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे और उसके ऊपर यहां पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सर्वोच्च आसन पर आप विराजमान हैं । डिप्टी स्पीकर आप के नीचे हैं । जिस वक्त कभी डिप्टी स्पीकर यहां चेयर में होते हैं और हुजूर जब वहां पर आते हैं तो डिप्टी स्पीकर उठ जाते हैं । जब वहां घंटी बजी तब हंगामा मच गया, हाउस के अन्दर जूते चलने लगे, मेजें पीटी जाने लगीं और अध्यक्ष महोदय के ऊपर वह लोग अटैक करने लगे . . . (**व्यवधान**) . . . वहां पर तूफान बदतमीजी होने लगी, हंगामा होने लगा, वोटिंग नहीं हो पाई तब उत्तर प्रदेश के उप मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि हाउस गड़बड़ में है, हंगामा हो रहा है । हम मेजारिटी में हैं । हमारे पास 221 की मेजारिटी है । हमारी गवर्नमेंट को कोई वहां पर खतरा नहीं है वह कोई एम० एम० बनर्जी की गवर्नमेंट नहीं है । वहां जो फैसला किया था वह स्पीकर ने किया था । चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट आफ उत्तर प्रदेश ने वह डिसीशन नहीं लिया था । वह गवर्नमेंट का डिसीशन नहीं है । बल्कि वह स्पीकर्स डिसीशन है । वे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को अटैक कर रहे हैं । विधान सभा का सर्वोच्च अधिकारी स्पीकर है । स्पीकर की वहां पर आटोनमी है और यू० पी० असेम्बली का स्पीकर पूरा राइट रखता है कि जरूरत पड़ने पर वह हाउस को डिजौल्व करे या मार्शल को बुलाये । उसी तरह से यहां इस हाउस में अध्यक्ष महोदय, आपकी आटोनमी है । अब उधर के लोग जो इस तरह से अक्सर शोरशराबा या हल्ला आदि कर लेते हैं वह आपकी अनुकम्पा के ही कारण हो पाता है और जो आपने अभी तक किसी को निकाला नहीं उसी का यह इनाम है । यह उधर के कुछ लोग अब हुल्लड़बाजी पर उतर आये हैं । इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो वहां पर डिसीशन लिया गया वह स्पीकर का डिसीशन था, उसकी सारी जिम्मेदारी वहां के स्पीकर पर है और अगर यहां पर कुछ कहा जाता है तो वह स्पीकर के खिलाफ होगा वह वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होगा ।

13 hrs.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East): In this U.P. matter there appear to be some special and unsavoury matters which if brought to your notice in good time might have convinced you that this was within the ambit of the sort of discussion we are entitled to hold. In this matter, since certain aspects of parliamentary government as a whole have been brought into disrepute from whatever we hear, my feeling is that we have jurisdiction to discuss it especially in view of what was done in the case of the West Bengal Assembly.

Therefore, my suggestion to you is that you might meet representatives of different parties in your Chamber and make up your mind so that tomorrow we can have a discussion on a suitable motion which can be formulated after discussion in which you have also paticipated and given directions.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है वह अत्यन्त खेदजनक है, इस बात को हम सभी स्वीकार करेंगे । लेकिन तथ्य जो हैं पहले उनके बारे में इस सदन को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए । उसके बाद तथ्यों के बारे में अगर सदन चर्चा करना चाहता है और आप इजाजत देते हैं तो सदन को बहस करने का मौका मिलना चाहिए । जहां तक तथ्यों का सवाल है, किस परिस्थिति में वहां पुलिस बुलाई गई, इस सम्बन्ध में यह सदन जानकारी प्राप्त करना चाहेगा । आप शासन को निदेश दे सकते हैं कि वह सारी जानकारी, उत्तर प्रदेश से बात करके सदन के सामने रखे । एक बार जानकारी आ जाय तब फिर आप तय कर सकते हैं कि उस पर बहस का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ।

आप यह स्वीकार करेंगे कि कहीं पुलिस बुलाई जाय या पुलिस घुस जाय तो विधान सभा की पवित्रता भंग होती है । इसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भेद नहीं किया जा सकता । लेकिन वहां पर जूते फेंकने को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, अगर अगर चर्चा होगी तो हम उसकी निन्दा करेंगे । उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं उनकी निन्दा की जानी चाहिये, फिर चाहे वह किसी पक्ष की ओर से की जाये । लेकिन तथ्यों के बारे में सरकार से वक्तव्य मांगने के बाद आप विचार करें । अगर आप निर्णय करते हैं कि चर्चा करना आवश्यक है तो आप हमको चर्चा करने का मौका दें ।

MR. SPEAKER: Before I came to the House, Shri Atal Bihari Vajpayee had discussed this matter with me. This adjournment motion was also brought to me immediately before I entered the Chamber. So, I thought that that was over, and when the hon. Member got up on a point of order, I thought that he was raising a point of order concerning the Press Council Bill. But he got time . . .

SHRI S. M. BANERJEE: Please do not try to ridicule me every time. I know the rules . . .

MR. SPEAKER: Will he please listen to me? He is very impatient.

SHRI S. M. BANERJEE: I know the rules very well.

MR. SPEAKER: I thought that he wanted to raise a point of order regarding the Press Council Bill. I did not know that he wanted to speak.

SHRI S. M. BANERJEE: I wanted adjournment of the House . . .

MR. SPEAKER: There was a lot of noise and din continuing in the House. It would have been much better if he and his colleagues had seen me in my Chamber . . .

SHRI S. M. BANERJEE: I had written to you already.

MR. SPEAKER: I did not see it..

SHRI S. M. BANERJEE: That means that notices and slips are being rejected without your seeing them even. I would like to put the record straight. I had sent the adjournment motion. I had also written to you a slip requesting you to kindly allow me to raise this isue undesr Rule 377.

MR. SPEAKER: That was his adjournment motion....

SHRI S. M. BANERJEE: I had sent the adjournment motion, I had sent a calling-attention-notice and I had also written a letter to you requesting you to permit me to raise this under rule 377.

MR. SPEAKER: I have already said that I have received his adjournment motion. He had written to me concerning his adjournment motion..

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): One can always move for adjournment of the discussion.

MR. SPEAKER: When did I deny it? What has gone wrong?

Later on, I found that all the Members wanted to speak on the Speaker's conduct and what happened in the U.P. Assembly, and they were speaking mostly on points of order and they had taken various procedural objections. It was all very nice of them to have invited my attention to those things. All this time, they have been saying that something wrong has been done from the point of view of the Constitution. All this time, I have also been thinking whether by allowing it, I may not also wrong the accepted procedure and conduct of business in this House....

SHRI S. M. BANERJEE: In Bengal, it can be different?

MR. SPEAKER: Hon. Members had invited my attention to what had happened in the past in the case of Bengal and other matters..

SHRI S. M. BANERJEE: Twice.

MR. SPEAKER: The hon. Member is impatient. Why should he not listen to me?

SHRI UMANATH: He is helping you.

MR. SPEAKER: He is distracting me and not helping me.

I have been thinking all this time whether it would be proper and whether it was proper at that time also to allow a discussion concerning the autonomy within the State Legislatures, concerning their procedures and conduct of business inside the House, to be raised here in this House or not. At least we have discussed it, as far as my knowledge about the Constitution goes and about the procedure goes; that does not tally with the incidents and the instances that happened in the past. That refuses to accept.... (*Interruptions*). I am not contradicting you....

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): How can you comment on the decision of another occupant to the Chair?

MR. SPEAKER: Something is going in the country which is creating new history. I have never heard of the Deputy-Speaker and the Speaker defying each other. I have never heard that the results of a division could be withheld or some wrong results could be given—this happened once in a University. All these things are goinng on.

As to what is the solution we can adopt, we must be very serious about it; we must give serious thought to it. I intend to discuss it with the Presiding Officers also when we meet sometime in December or so. It has always been the practice in the past to discuss things in the conference of the Presiding Officers. Things are happening in this country in a different set of circumstances and background. They are very perplexing for the Chair also. What should the Speaker of the Lok Sabha do? Should he fall in line or assert himself and

say 'this is something wrong', 'this is right'? I am going to call for the past proceedings. I will look into them and will discuss it with Leaders of the Opposition, After all, I am in your hands or in the hands of the Constitution....

SHRI NATH PAI: We are in your hands.

MR. SPEAKER: But where what is sought to be done and the Constitution clash, I have to go by the accepted procedure of this House.

SHRI MADHU LIMAYE: Where is the Leader of the House?

(Interruptions)

MR. SPEAKER: We adjourn for lunch now.

13.07 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock

---

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at ten minutes past Fourteen of the Clock

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair.*]

RE: POLITICAL SITUATION IN UTTAR PRADESH—*Contd.*

श्री जार्ज फ़रनेंडीज : सुबह वाले मामले में मंत्री महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हम आश्वासन चाहते हैं कि सदन में बयान आएगा। रघुरामैया साहब मौजूद हैं – मैं.....(इंटरप्शंज)

कुछ माननीय सदस्य : सभापति महोदय.....

सभापति महोदय : जब तक मैं इजाजत न दूं कोई नहीं बोले। जो विषय इस वक्त हाउस के सामने है उस पर दो घण्टे का समय निर्धारित किया गया था। दो घण्टे तीस मिनट का समय उस पर लिया जा चुका है। दो बजे के बाद कोई जीरो आवर नहीं है जैसा कि आपने बारह से एक बजे तक फिक्स किया हुआ है।

श्री जार्ज फ़रनेंडीज : यह मामला सुबह से चल रहाहै। हम गृह मंत्री से आग्रह करते हैं कि वह उत्तर प्रदेश की विधान सभा में जो कुछ हुआ है, उसके बारे में वक्तव्य दें। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में दो दिन में जो घटनायें घटी हैं उनके बारे में सदन में स्टेटमेंट आना चाहिये और इस मामले पर बहस होनी चाहिये। हम तीन दिन से इस प्रश्न को यहां उठा रहे हैं कई तरीकों से। संसद् कार्य मंत्री मौजूद हैं। उन से कहिये कि गृह मंत्री को वह बयान देने के लिये कहें। उन्होंने इस के बारे में आश्वासन भी सदन को दिया है। इस प्रश्न पर आज ही और तत्काल ही यहां बहस होनी चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : हम कोई विवाद खड़ा करना नहीं चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय ने जब यह मामला उठया था तो खुद कहा था कि वह पुरानी कार्रवाई को देखेंगे। लेकिन हमें खबर मिली है कि आज भी उत्तर प्रदेश असेम्बली में लोगों को निकाला जा रहा है और आगे भी निकाले जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गृह मंत्री से कहें कि वह स्टेटमेंट दें। इस में कौन सी बुरी बात है।

कुछ माननीय सदस्य : सभापति महोदय

सभापति महोदय : अगर इस तरह से बोलना शुरू कर दिया जाएगा तो कुछ रिकार्ड पर नहीं आएगा।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं

सभापति महोदय : यह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं वाक आउट करता हूं।

सभापति महोदय : फरनेंडीज साहब ने इस प्रश्न को उठाया था....

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : यहां भी आप पुलिस बुलायेंगे ?

सभापति महोदय : अगर जरूरत पड़े।

श्री जार्ज फ़रनेंडीज : यह नहीं हो सकता है। नही (**इंटरप्शंस**)

सभापति महोदय : इस तरह से नहीं चल सकता है। अगर आप इस तरह का वातावरण पैदा कर देंगे, अध्यक्ष की बात को न मानेंगे, तो चेयर के लिए जो उचित होगा वह करेगी। आपने कमिट किया था कि एक आदमी उठेगा परमिशन के साथ और अपनी बात कहेगा और उसका जवाब चेयर देगी। शान्तिपूर्वक आप लोग कार्रवाई को चलने दें।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : यह कांग्रेस कमेटी का दफ्तर नहीं है। जैसा आप चाहेंगे चलायेंगे तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : जिस समय पंजाब विधान सभा में पुलिस आई थी तब भी मामला सदन में उठा था। बंगाल विधान सभा में आई तब भी उठा था। उत्तर प्रदेश में जो काण्ड हुआ है वह इन दोनों से गम्भीर है। उसके बारे में सारा देश चिन्तित है। इस वास्ते हम लोगों ने कालिंग एटेंशन भी दिया एडजर्नमेंट मोशन भी दिया। हमारी प्रार्थना है कि आप होम मिनिस्टर से बयान दिलवाय। यह मांग आप की आज्ञा से उठाई जा रही है। उन्होंने आपकी आज्ञा के बिना उठ कर कहा कि क्या यहां भी पुलिस बुलाई जाएगी ? उनके वास्ते यह कहना गलत था। आपको भी नहीं कहना चाहिए था कि जरूरत पड़ेगी तो बुलाई जाएगी। हमारी पार्लियामेंट सावरेन पार्लियामेंट है, यह देश का सब से बड़ा सदन है। हम समझते हैं कि यहां ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे, हम होने नहीं देंगे। इसलिए उनका रिमार्क करना गलत था और आपका जवाब देना भी गलत था। आप से मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य ने पुलिस के बारे में जो बात कही, वह भी उसको वापस ले लें और आप भी अपनी बात को वापस ले लें (**व्यवधान**)

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, क्या आप यहां पुलिस बुलाने की बात सोचेंगे ? आप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी, तो पुलिस को बुलायेंगे। आप इस समय कुर्सी पर बैठे हैं। आप को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यहां पर किसी भी कीमत पर पुलिस को नहीं आने दिया जायेगा। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को मुझ से यह सवाल पूछना चाहिए था ? क्या उन्होंने गलती नहीं की है ? अगर वह अपनी बात को वापस लेते हैं, तो मैं भी अपनी बात को वापस ले लूगा (**व्यवधान**)

श्री जनेश्वर मिश्र : अगर आप इस बात पर जोर देते हैं, तो मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। एक जगह स्पीकर के जरिये से पुलिस बुलाई गई है। मुझे शक है कि यह कुर्सी इस तरह की हरकत कर रही है,जिससे जनतन्त्र खतरे में पड़ेगा। आप के इस बयान पर मुझे आपत्ति है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप ने अपनी बात को विदड्रा कर लिया। मैं भी अपनी बात को वापस लेता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : सभापति महोदय, अब आप मिनिस्टर साहब से स्टेटमेंट दिलवाइये।

SHRI UMANATH This question of police and all that is over. The other question relates to a constructive proposal to you and it is that this has nothing to do with what the hon. Speaker said here in the morning.

श्री शिव नारायण : सभापति महोदय, सुबह अपोजीशन के सदस्यों ने कहा था कि वे उत्तर प्रदेश के स्पीकर के बारे में बहस नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश विधान सभा में सब कार्यवाही स्पीकर ने की है। वह आटोनोमी है। सुबह अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वह पिछली कार्यवाही को पढ़ेंगे और फिर अपना डिसिजीन देंगे। अब उधर के माननीय सदस्य आप को डिसटर्ब कर रहे हैं और हाउस का काम रोके हुए हैं। ये उनके टेक्टिक्स हैं।

SHRI UMANATH: My present submission has nothing to do with what the Hon Speaker said this morning in the House. The submission from this side has nothing to do with that. He dealt with the question of the demand for a discussion. He has said that he will consult the Opposition leaders, go through the minutes and records and then take a decision. But the present submission is only a request that a statement may be made on behalf of Government as to what actually happened there. Such statements have been made by Government on earlier occasions when such serious things had happened. There is no conflict between their making a statement and the Speaker's decision. The Speaker's decision is with regard to a discussion. Let him take a decision in regard to the discussion in consultation with the Leaders. But let Government be directed by you or advised by you, as usually is done by you on such occasions, that a statement may be made as to what happened in the UP Assembly.

MR. CHAIRMAN This question was raised by Shri George Fernandes the other day and the other gentleman was in the Chair. He has already given a ruling. I was present in the House at that time. So, that ruling stands, and I cannot overrule it.

SOME HON. MEMBERS: What was that ruling?

MR. CHAIRMAN: That is on record. I do not exactly remember it.

The Ministers are here, and the Minister of Parliamentary Affairs is here and he has heard the hon. Members, and whatever he thinks proper, he will take action according to that.

श्री जार्ज फ़रनेंडीज : श्री रघुरामैया कहें कि होम मिनिस्टर साहब इस बारे में बयान देंगे।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHURAMAIAH): I am bound by the Chairman's direction.

AN HON. MEMBER: What is that direction?

SHRI RAGHURAMAIAH: Whatever hon. Members have just heard.

SHRI UMANATH: We are simply asking for a statement. We want a statement by Government on facts. That has nothing to do with what the Speaker said this morning. What is wrong about it?

SHRI J. M. BISWAS (Bankaura): Whatever ruling the Speaker gives does not debar Government from coming forward with a statement.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member's party is also running a government in West Bengal. There is already a properly constituted government running in U.P. How could this House discuss it, and how could it be permitted, unless I am convinced of it? And I have not been convinced, and therefore I am not going to ask Government to make any statement.

SHRI J. M. BISWAS: What the Hon. Speaker said this morning does not debar Government from coming forward with a statement.

14.26 hrs.

RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF PRESS COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE

AND

PRESS COUNCIL (AMENDMENT) BILL—*contd.*

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : सभापति महोदय, मैं उन सब मेम्बरान का बड़ा मशकूर हूं, जिन्होंने मेरे इस रेजोल्यूशन के हक में, या इस के खिलाफ, अपने खयालात का इजहार किया। हम में जो इख्तलाफात हैं, वे खयाली इख्तलाफ़ात हैं। हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। भगवान् महावीर स्वामी ने कहा है कि जो तुम्हारा विरोध करता है, वह तुम्हारा सब से बड़ा मित्र है, जिन लोगों ने मेरे इस रेजोल्येशन की मुखालिफ़त की है, उन का भी मैं ममनूने-एहसान हूं, क्योंकि उन्होंने रास्ता दिखलाने की कोशिश की है।

यह सरकार मुतवातिर पन्द्रह सालों से वादा कर रही है कि मानोपली खत्म होगी, लेकिन वह खत्म नहीं हुई है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मन वचन कर्म की एकता नहीं होगी, तो देश कभी उन्नति नहीं कर सकेगा। आज मन वचन कर्म की एकता नहीं है।

हम अपने कांस्टीट्यूशन में यह एलान कर चुके हैं कि हमारी राजभाषा, स्टेट लैंग्वेज हिन्दी है। लेकिन हम समाचार भारती को पचास हजार रुपये सालाना देते हैं और इंगलिश एजेन्सी को पचास लाख रुपये सालाना देते हैं। हम अपनी मातृभाषा के लिए अंग्रेजी के मुकाबले में सौवां हिस्सा खर्च करते हैं। कौन है, जो कांस्टीट्यूशन के इस एलान को, उस में किये गये वादे को, पूरा करेगा? इस के लिए आसमान से तो लोग नहीं आयेंगे। यह काम हमें ही करना होगा।

हम विरोधी नहीं हैं। "विरोधी" शब्द इंगलैण्ड का दिया हुआ है, यूरोप का दिया हुआ है। हम आपोजीशन में नहीं हैं। हम इन लोगों के सच्चे हितैषी हैं, सच्चे मित्र हैं। फारसी में मकौला है: "दोस्त आं बाशद कि मुआयबे दोस्त, हम चो आईना रोबरू गोयद", अर्थात् सच्चा मित्र वही है, जो अपने मित्र के दोषों को दर्पण की तरह सामने रख दे। हम ने इस बात का वादा किया है कि हम इस देश में हिन्दी को लायेंगे। लेकिन कौन उस को पीछे ढकेलता है? यह सरकार उस को पीछे ढकेलती है। अगर मैं सरकार को उस की ड्यूटी याद न दिलाऊं, तो मैं अपने फर्ज से गिरूंगा। नीतिकार कहता है: "न किं सखा, साधु न शास्ति योऽधिपम् हितान्न यः संशृणुते स किं प्रभुः अर्थात् वह सच्चा हितैषी नहीं, जो अपने बड़े को कठोरता के साथ सत्पथ न दिखला सके और बुजुर्ग भी वह सच्चा बुजुर्ग नहीं, जो प्रेम के साथ अपने हितैषी की शिक्षा न माने। अगर मैं सच्ची राय नहीं दूंगा, भले ही वह कड़ुवी लगे, तो मैं अपने कर्तव्य से गिर जाऊंगा।

हम सब का यह पहला फर्ज है कि हम गांधीजी के उन आदर्शों को जिन्दा रखें, जिन के कारण हमारा देश स्वतन्त्र हुआ था और अंग्रेज यहां से गये थे। आज प्रैस और आल-इण्डिया रेडियो में गाने वालियों और नाचने वालियों के जीवन-चरित्र दिये जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए सच्ची कुर्बानी दी, उन का जिक्र तक नहीं होता है। मैं बादशाह खां की टुकड़ियों में था, मैं बादशाह खां का सुखपोश हूं। मैं आज भी उन्हें संसार का महानतम पुरुष मानता हूं। मैं ने इस पार्लियामेंट को बीस दफा लिख कर दिया है कि मेरे मुताल्लिक